Closure of Kumardhubi Engineering Works

5217. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1699 on the 26th March, 1980 regarding closure of Kumardhubi Engineering Works, and state:

(a) steps taken for reopening of Kumardhubi Engineering Works;

(b) whether it is a fact that the Public Sector Enterprise C.I.L. has expressed its willingness to take over the management of the KEW to run that;

(c) whether he is aware of an effort to tag the KEW with some monopoly house before opening that; and

(d) if so, steps taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY of INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) c & d): Various possible options for reopening the Kumardhubi Engineering Works are presently under consideration of the Government. One of these options was for the amalgamation of KEW with a healthy unit like M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd. (TISCO) which was situated nearby and could use the complementary facilities of KEW more effectively. TISCO have, however, not so far, shown any favourable response for such an amalgamation.

(b) No proposal has been received by the Government from Coal India Limited for taking over the management of Kumardhubi Engineering Works.

दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के गैर-लाइसेंस शुदा स्टोर

5218. श्री टी० एस० नेगी : क्या गृह मंत्री दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के गैर-लाइसेंस शुदा स्टोर के बारे में 11 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनधिकृत स्टोरों को हटाने के लिये दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत चालान खंड के अतिरिक्त अन्य उपबंध क्या हैं ;

(ख) क्या गोपाल नगर में उपरोक्त स्टोर हटाने के लिये दिल्ली नगर निगम ने केवल चालान ही किया है अथवा कोई अन्य कार्यवाही भी की है ;

(ग) क्या प्रश्न में उल्लिखित शिकायत-कर्ताओं ने निगमायुक्त को कोई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उपरोक्त स्टोर से सम्पत्ति कर के रूप में निगम को कितनी राशि प्राप्त हुई है और इसका अनुमान लगाने के मानदंड क्या है और क्या इस प्रयोजन के लिये प्लाट को रियायती अथवा वाणिज्यिक माना गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 418(2) में कुछ प्रयोजनों के लिए भवनों के उपयोग को रोकने की व्यवस्था है परन्तु इन का संबंध ऐसे व्यापार से है जो उपद्रव पैदा करें और जीवन, स्वास्थ्य अथवा सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो । भवन सामग्री के भंडार का व्यापार उपद्रव की परिभाषा के अधीन नहीं आता है जैसा कि इस अधिनियम की धारा 2(33) में समाहित है । अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अधीन ऐसे भंडारों को केवल चुनौती दी जा सकती है और ऐसा बार बार किया गया है ।

भंडारों के दो पड़ोसियों से प्राप्त आवेदन में आरोप है कि भंडार का मालिक सरकारी भूमि में भवन सामग्री जमा करके उनके मकानों के आगे की नाली बन्द करता है । सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे के लिए भंडारण के विरुद्ध अनेक बार कार्रवाई की गई है, इस समय न तो निगम की भूमि पर अनधिकृत कब्जा है और न नालियां बन्द हैं । इस प्लाट का व्यापारिक प्रयोजन के लिए स्वय कब्जे के रूप में मूल्यांकन किया गया है और 446 रुपये की धन राशि सम्पत्ति कर के रूप में प्राप्त हुई है । इसके अतिरिक्त 31-3-1980 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सम्पत्ति कर के रूप में 1634.75 रुपये की धनराशि बाकी है ।